



प्रेस नोट

थाना – बाबूगढ़

दिनांक 09.04.2024

थाना बाबूगढ़ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 94/2024 धारा 379 भादवि का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पशु बेचकर प्राप्त 9,500/- रुपये नकदी, अवैध असलहा व घटना में प्रयुक्त कार बरामद ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 94/2024 धारा 379 भादवि का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को उदयपुर नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पशु बेचकर प्राप्त हुए 9,500/- रुपये नकदी, अवैध असलहा व घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. गुफरान पुत्र गुलजार निवासी चौधरान पट्टी मौ0 कुरैशियान थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी मोती कॉलोनी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ ।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी के पशु बेचकर प्राप्त 9,500/- रुपये नकदी सम्बन्धित मु0अ0सं0 94/2024 धारा 379 भादवि थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।
2. एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
3. घटना में प्रयुक्त टोयोटा कोरोला कार रजि0 नं0 डीएल 4सी एनई 4583

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री धनवीर सिंह थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।
2. का0 944 धनवीर सिंह थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।
3. का0 647 सुधीर कुमार थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।
4. का0 672 राशिद खान थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।